प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 18-01-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. ई-रिक्शा चोरी करने के अभियुक्त को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2025 को वादी निवासी थाना चन्दौसी जनपद सम्भल ने अभियुक्त द्वारा वादी के किराये का ई-रिक्शा नं0 UP38 AT 7260 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 0630/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यावाही व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई । दिनांक 17.01.2026 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त अजय पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम बरौली रूस्तमपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. हत्या के प्रयास के आरोपी को थाना मुगलपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को वादी निवासी थाना मुगलपुरा क्षेत्रान्तर्गत जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने के सम्बन्ध में थाना मुगलपुरा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0- 0010/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यावाही व बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/24 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। आज दिनांक 18.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार राणा थाना मुगलपुरा द्वारा हमराही पुलिस के साथ अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र नवाब निवासी कोकाशाह वाली मस्जिद के पास गली न0 7 थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद 2. इमरान पुत्र रिजवान निवासी कोकाशाह वाली मस्जिद के पास थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी अभियुक्त शादाब सेः-

01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद कारतूस 12 बोर (नाल में फंसा)

3. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 05 व्यक्तियों व 01 वारंटी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

थाना भगतपुर-03, थाना कटघर-01, थाना बिलारी– 01

वारंटीः-

थाना कटघर-01